आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :बिजनौर,तहसील :धामपुर

वाद संख्या :-02317/2018

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201813160302317

किरन देवी, बुन्दूलाल कर्णवाल एजुकेषनल सोसाइटी अफजलगढ द्वारा प्रबन्धक ब्रजेश कर्णवाल

बनाम उ0प्र0 सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थी किरन देवी, बुन्दूलाल कर्णवाल, एजुकेशनल सोसाइटी अफजलगढ़ द्वारा प्रबन्धक ब्रजेश कर्णवाल पुत्र बुन्दूलाल कर्णवाल निवासी मौ0 बेगम सराय कस्बा व परगना अफजलगढ़ तहसील धामपुर जिला बिजनौर के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धामपुर की आख्या दिनांक–11–01–2018 के आधार पर प्रारम्भ हुई। तहसीलदार धामपुर की आख्या में उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम फतेहउल्लानगर परगना अफजलगढ़ तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष 1423–1428 फसली के खाता सं0 15 खसरा नं0 124मि0 रकबई 0.300हे0 भूमि पर प्रार्थी किरन देवी, बुन्दूलाल कर्णवाल एजुकेशनल सोसाइटी अफजलगढ़ तहसील धामपुर जिला बिजनौर का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, मतस्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नही लायी जा रही है। राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत ऐसे खातेदार जो स्वयं के आवासीय प्रयोजन में उपयोग नहीं कर रहे हो उनके लिए 1 प्रतिशत शुल्क अधिरोपित करने की व्यवस्था दी गयी है। उक्त प्रस्तावित भूमि किसी भी मार्ग पर स्थित नही है। रेट लिस्ट के अनुसार सरकारी रेट 32,00,000/–रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से उक्त भूमि की मालियत (0.300×32,00,000 रू0)=9,60000/–रू0 है आती है जिसका 1 प्रतिशत 9,600रू0 देय होता है। तहसीलदार धामपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अन्त मे प्रश्नगत भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शुल्क लिये जाने के उपरान्त अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई है।

मैने तहसीलदार धामपुर के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सहित पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। तहसीलदार धामपुर की रिपोर्ट दिनांक 11–01–18 के अनुसार भूमि स्थित ग्राम फतेहउल्लानगर परगना अफजलगढ तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष 1423–1428 फसली के खाता सं0 15 खसरा नं0 124मि0 रकबई 0.300हे0 भूमि पर प्रार्थी किरन देवी, बुन्दूलाल कर्णवाल एजुकेशनल सोसाइटी अफजलगढ तहसील धामपुर जिला बिजनौर का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कोई कृषि, बागवानी, मतस्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नही हो रहा है बल्कि मौके पर मौके पर कालेज भवन बना है। साक्ष्य के रुप में पत्रावली पर फोटोग्राफ सलंग्न है तथा उक्त भूमि में कोई सहखातेदार भी नही है। राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत ऐसे खातेदार जो स्वयं के आवासीय प्रयोजन में उपयोग नहीं कर रहे हो उनके लिए

(क्रमशः पेज नं0 2 पर)

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :बिजनौर,तहसील :धामपुर

वाद संख्या :-02317/2018

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201813160302317

किरन देवी, बुन्दूलाल कर्णवाल एजुकेषनल सोसाइटी अफजलगढ द्वारा प्रबन्धक ब्रजेश कर्णवाल

बनाम उ0प्र0 सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

1 प्रतिशत शुल्क अधिरोपित करने की व्यवस्था दी गयी है। इसलिए रेट लिस्ट के अनुसार उक्त भूमि की मालियत 960000/–रूपये होती है। जिसका 1 प्रतिशत 9600/–रूपये सरकारी कोष में चालान संख्या 10 के द्वारा दिनांक–18–01–2018 को जमा किया गया है। प्रश्नगत भूमि विवादित नही है तथा धारा 77 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत नही आती है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा 80 के अन्तर्गत भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर भूमि स्थित ग्राम फतेहउल्लानगर परगना अफजलगढ़ तहसील धामपुर जिला बिजनौर के खाता सं0 15 खसरा नं0 124मि0 रकबई 0.300हे0 लगान 4.50 रू0 को उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार धामपुर को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह उक्त आदेश का अंकन खतौनी के विवरण कॉलम में प्रतिवर्ष कराना सुनिश्चित करे। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक धामपुर को इस आशय से भेजी जाये कि इसे अभिलेखों में निःशुल्क पंजीकृत कराये। आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मौके पर घोषित अकृषिक भाग को चिन्हित करते हुये नजरी नक्शे में पृथक–पृथक रंगों से आख्या भेजेगें। समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक:– 28 /02/2018

(आजाद भगत सिंह)
परगनाधिकारी, धामपुर।

13
3-3-18
5-3-18
5-3-18

न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर

वाद सं0–32/2008
किरन देवी बुन्दूलाल ऐजूकेशनल सोसाइटी
बनाम
स्टैट आफ यू0पी0

धारा–143 जैड.ए. एक्ट.
मौजा– फतैहउल्लानगर
परगना– अफजलगढ़।

नकल–आदेश दि. 5-6-08, S.D.O (D)

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही किरन देवी बुन्दूलाल ऐजूकेशनल सोसाइटी मौ0 बेगमसराय कस्बा अफजलगढ़ द्वारा बुन्दूलाल कर्णवाल पुत्र स्व0 कुन्दनलाल संरक्षक किरन देवी बुन्दूलाल ऐजूकेशनल सोसाइटी अफजलगढ़ व श्रीमती किरन देवी पत्नी बुन्दूलाल निवासी अफजलगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–143 जैड0ए0एक्ट के आधार पर आरम्भ की गयी। प्रार्थीगणों द्वारा कहा गया है कि आराजी स्थित ग्राम फतैहउल्लानगर परगना अफजलगढ़ तहसील धामपुर के खसरा नं० 124 रकबई 1.269हे० मे से 0.700हे0 के संक्रमणीय भूमिधर किरन देवी बुन्दूलाल ऐजूकेशनल सोसाइटी मौ0 बेगमसराय कस्बा अफजलगढ़ है और इस भूमि पर खेती, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है तथा उक्त भूमि मौके पर अकृषिक प्रयोजन में आ रही है। जिस कारण भूमि विवादित को आकृषिक घोषित किया जाना कानून व इन्साफन जरूरी है। अतः भूमि स्थित ग्राम फतैहउल्लानगर परगना अफजलगढ़ के गाटा संख्या 124मि0 क्षेत्रफल 1.269हे0 में से 0.700हे0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाकर लगान समाप्त किया जाये तथा राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराया जाये। प्रार्थना पत्र प्राप्ती के उपरान्त तहसीलदार धामपुर से जांच आख्या प्राप्त की गई । तहसीलदार धामपुर की जांच आख्या दिनांक 09.05.08 मय प्रपत्र– 135 न्यायालय में प्राप्त हुई।

तहसीलदार धामपुर द्वारा अपनी आख्या दि0 09.05.08 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम फतैहउल्लानगर परगना अफजलगढ़ तहसील धामपुर के खसरा नं0 124 रकबा 1.269हे0 में से 0.700हे0 के संक्रमणीय भूमिधर किरन देवी बुन्दूलाल ऐजुकेशनल सोसाइटी अफजलगढ़ है। जिसकी प्रबधक किरन देवी है और इनके नाम उक्त भूमि बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, तथा उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुटपालन आदि के प्रयोजन में प्रयुक्त नहीं हो रही है बल्कि आकृषिक प्रयोजन में आ रही है और मौके पर चाहरदीवारी बनी हुई है। जिसके कारण उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जा सकता है। तहसीलदार की आख्या के साथ सी0एच0–41 तथा सी0एच0–45 की नकल सहित नजरी नक्शा संलग्न किया गया है। तहसीलदार की आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि 1359फ० से अन्त तक के अभिलेखो का गम्भीरता से परीक्षण करा लिया गया है एवं आवेदक के नाम ग्राम सभा, राज्य सभा, पटटे,सीलिंग, शत्रु संम्पत्ति,निष्क्रान्त संम्पत्ति या भूदान की भूमि पर अनियमित रूप से नहीं हुऐ है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में राज्य सरकार का कोई अहित नहीं है।

मेरें द्वारा वादनी एवं नामिका वकील को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्यों के आधार पर तहसीलदार धामपुर की आख्या दि० 09.05.08 स्वीकार करते हुऐ किरन देवी बुन्दूलाल ऐजूकेशनल सोसाइटी मौ0 बेगम सराय कस्बा अफजलगढ जिला बिजनौर द्वारा बुन्दूलाल कर्णवाल पुत्र स्व0 कुन्दलाल संरक्षक एवं श्रीमती किरन देवी पत्नी बुन्दूलाल निवासी अफजलगढ़ के नाम स्थित ग्राम फतैहउल्लानगर परगना अफजलगढ़ तहसील धामपुर के खाता संख्या 13 गाटा संख्या 124 में से 0.700हे0 भूमि लगान रूपये 10.54पैसे पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी, आदि जैसे कार्य न होने के कारण अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार धामपुर को राजस्व अभिलेखों में [illegible]